5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. | Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

Fee Paid

A0) 3360=00
9=00
LR 2=50
Pf - 0=94
3372=44

1. नाम लेख्यकारी :-श्री जोसेफ खालखो वल्द स्वर्गीय सामुएल खालखो, जाति-उरांव, आदिवासी, पेशा-खेती, धर्म-इसाई, निवास-गांव खिजरी, सामटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-गुमला.. भारतीय-बिक्रेता ।
शपथ-पत्र संख्या.. 148, dt. 27.6.2000

2. नाम लेख्यधारी:-श्री वाल्टर बा: वल्द स्वर्गीय जोहन बा:, जाति-खड़िया, आदिवासी, पेशा-खेती धर्म-इसाई, निवास गांव-खिजरी, सामटोली, थाना-

5000Rs.

सिमडेगा, जिला-गुमला.. .. भारतीय-क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या.. 149, dt. 27.6.2000

3. लेख्यप्रकार :- रैयती बिक्रय-दस्तावेज, सदा सर्वदा के लिए बिक्री होता है ।

4. कीमत :- मोबलिक एक लाख अरसठ हजार रूपये अंके-1,68,000/= रूपये मात्र ।

5. जमीन का विवरण :- अन्दर मौजा खिजरी, पुष्पुर थाना नं0-105, थाना-सिमडेगा, जिला-गुमला का खाता संख्या-156 के अन्तर्गत प्लाट संख्या-दो हजार दो सौ छत्तीस अंके-2236, नाम जमीन बरटांड़ किस्म जमीन टांड II का कुल रकबा 03.04 एकड़ में से अड़तालीस डिसमिल मात्र अंके 0.48 एकड़ जानिब कुल जमीन का उतरवारी बीच का हिस्सा, जिसके पूरब में सुनाम खलखो का टांड जमीन, पश्चिम में-इलियस मिंज का चांवरा जमीन का अंश, उतर में-इसी प्लाट में श्री हिलारूस बा: की खरीदगी

जमीन तथा दक्षिण में इसी पलाट का शेष जमीन कृषि योग्य आबादी से बाहर असिंचित, हक-रैयती, सलाना मालगुजारी 45 पैसे अलावे शेष, सदा सर्वदा के लिए बिक्री होता है ।

6· चूंकि, मुझ लेख्यकारी को दूसरी जगह बेन्दोझरिया उड़िसा में सस्ती में ज्यादा जमीन मिल रही है। जिसे खरीदने की मेरी तिव्र इच्छा है। जिसके लिये रूपये पाने का भिन्न उपाया नहीं होने के कारण मैं ने इस दस्तावेज के कण्डिका पांच में वर्णित जमीन, जो इस दस्तावेज के द्वारा बेची जा रही है, को उपर कण्डिका दो में वर्णित लेख्यधारी अर्थात् क्रेता को खरीदने का आग्रह किया। जिसे उन्होंने खरीदना स्वीकार किया। और कुल रकम मुझे दे दिया ।

अत: मैं ने इस दस्तावेज के द्वारा बेची जा रही जमीन के निस्वत कुल रकम पाकर उपरवर्णित जमीन को बेचा, तथा कुल हक रैयती तथा शांतिपूर्ण दखल लेख्यधारी अर्थात् क्रेता को दे दिया। जो प्रमाण में मैं अपनी शरीर, मन वो दिमाग की स्वस्थता में यह केवाला अर्थात् बिक्री दस्तावेज अपनी राजी-खुशी से

निष्पादित कर रहा हूं, कि वक्त जरूरत काम आवे। चूंकि हम दोनों ही विक्रेता तथा क्रेता, क्रमशः उरांव तथा खड़िया जाति के आदिवासी हैं। अतः हमने दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत पदाधिकारी, उप-समाहर्ता, प्रभारी भूमि सुधार, सिमडेगा, से आवश्यक अनुमति उनकी राजस्व मुकदमा संख्या 65/95-96 में आदेश दिनांक 26 मार्च 1996 को प्राप्त कर ली है।

आज से इस दस्तावेज के द्वारा बेची गई जमीन पर हमारा, अथवा हमारे किसी भी वारिसान अथवा स्थानापन्न जो अभी है अथवा भविष्य में होंगे उनका, इस दस्तावेज के द्वारा बेची गई जमीन पर किसी किस्म का हक अथवा दखल अथवा दावा नहीं रहेगा।

लेख्यधारी अथवा क्रेता, जो इस दस्तावेज के द्वारा उनकी खरीदगी जमीन पर जो दखलकार हो चुके हैं, को चाहिए कि, उपरवर्णित जमीन के निस्बत अपना नाम अंचल अधिकारी, सिमडेगा से दाखिल-खारिज कराकर साल-ब-साल मालगुजारी मय सेस अदाकर रसीद पावें।

1000Rs.

इस दस्तावेज के द्वारा बेची गई जमीन, जो पिछले नाप में लुइयु उरांव वो टोटो उरांव पेशरान स्वर्गीय डोन्डा उरांव के नाम से रैयती नाप हुआ था, सो बकब्जे लुइयु उरांव के दखल वो हिस्से में टोटो उरांव से अलग नाप हुआ है। खतियानी रैयत मर चुके हैं। खतियानी रैयत स्वर्गीय लुइयु उरांव उर्फ स्वर्गीय डोन्डा उरांव के चारों पुत्र क्रमशः स्वर्गीय पलटु मंगरा उरांव, स्वर्गीय मारकुस उरांव, स्वर्गीय जोसेफ उरांव तथा स्वर्गीय सामेल उरांव थे। जो अपने जीवनकाल में ही बंटवारा करके जमीनें अलग-अलग खास दखल करके रहते और कमाते खाते थे। मैं खतियानी रैयतों के सबसे छोटे पुत्र स्वर्गीय सामेल उरांव का मझला पुत्र हूँ। मेरे दो अन्य भाई अग्रज फ्रेड्रिक खलखो तथा अनुज पितरूस खलखो का मैं मझला भाई हूँ। मेरे भाईयों में तथा मुझमें भी जाति दस्तूर के मुताबिक गांव में बंटवारा हो चुका है। जिसमें इस दस्तावेज के द्वारा बेची गई जमीन मेरेही खास हिस्से वो दखल की है। मेरे दोनों अन्य भाई पहले ही उड़िसा में, आपसी बंटवारा के पश्चात्

अलग-अलग बस चुके है। खाता के अन्य जमीनों के साथ इस जमीन का भी मालगुजारी अभी तक चाचा मारकुस उरांव वगैरह के नाम से कटती है।

बांजे रहे कि इस दस्तावेज के द्वारा बेची गई जमीन अथवा इस बिक्री के पूर्व मेरे द्वारा धारित जमीन अथवा इस बिक्री के पश्चात् मेरे द्वारा धारित जमीन भूमि हदबंदी कानून के तहत अधिशेष नहीं है।

ह0/-
जीतेन्द्र खलखो
नारायण मांझी ता0 27.6.2000

प्रमाणित किया जाता है, कि इस दस्तावेज के [illegible] पन्ने में कुल 760 शब्द टंकित है, जो खण्डन रहित एवं नक्शा सहित है।

सही/- देवनिस बाड़ा
26.6.2000ई.

प्रारूपकर्ता-

टंकक: देवनिस बाड़ा 26.6.2000ई.
(देवनिस बाड़ा)
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा

जितेन्द्र मांझी
27.6.2000

मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक दूसरे की हुबहू और सच्ची प्रतिलिपि है।

सही ह0/-
जीतेन्द्र खलखो
नारायण मांझी
ता0 27.6.2000

सही ह0/- जीतेन्द्र खलखो
नारायण मांझी
ता0 27.6.2000

वाजे रहे कि दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम पदाधिकारी से खरीद-बिक्री हेतु आवश्यक अनुमति राजस्व मुकदमा संख्या 65/95-96 ई0 में पारित आदेश का पुनः नवीकरण उनके द्वारा दिनांक-27.जून 2000ई0 में पारित आदेश के आलोक में हो चुका है ।

सही. है. लि.
जोगेन्द्र रवलाये, क.प.
नारायण मांझी
ता० 27.6.2000

सही. है. लि.
जोगेन्द्र रवलाये, क.प.
नारायण मांझी
ता० 27.6.2000